

# भारतक संविधान

## प्रस्तावना

हम, भारतक लोक, भारतकेँ एक <sup>1</sup>[संपूर्ण प्रभुत्वसंपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य] बनएबाक हेतु, एवं ओकर समस्त नागरिककेँ :

सामाजिक, आर्थिक ओ राजनैतिक न्याय,

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म

ओ उपासनाक स्वतंत्रता,

प्रतिष्ठा ओ अवसरक समता

प्राप्त करएबाक हेतु,

एवं ओकरा सभमे

व्यक्तिक गरिमा एवं <sup>2</sup>[राष्ट्रक एकता ओ

अखंडता] सुनिश्चित करएवला बंधुताक

वृद्धिक लेल

दृढ़ संकल्प भए अपन एहि संविधान सभामे आइ दिनांक 26 नवंबर 1949 ई. केँ एतद् द्वारा एहि संविधानकेँ अंगीकृत, अधिनियमित ओ आत्मार्पित करैत छी ।

<sup>1</sup> संविधान (बियालिसम संशोधन) अधिनियम, 1976 केर धारा 2 द्वारा (3-1-1977 सँ) "प्रभुत्वसंपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्यक" स्थान पर प्रतिस्थापित ।

<sup>2</sup> संविधान (बियालिसम संशोधन) अधिनियम, 1976 केर धारा 2 द्वारा (3-1-1977 सँ) "राष्ट्रक एकता" क स्थान पर प्रतिस्थापित